संख्या- 8/2017/एस-3-419/दस-2017-ब(8)/2015टी0सी0-।।

प्रेषक,

राज रतन
उप सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उत्तर प्रदेश,
1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-63 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या - 4012/2 (दो) 2016-2017/ को0नि0 / बजट दिनांक 31-03-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 78 कोषागारों में कार्यरत कोषागार कार्मिकों को 7वें वेंतन आयोग की दरों पर मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु मानक मद -07 मानदेय मद में धनराशि अपर्याप्त होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय संलग्न पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर0ई0-848-एस-3-419/दस-2017-ब(8)/2015टी0सी0 दिनांक 31-03-2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अन्तर्गत मानक मद -01-वेतन में होने वाली बचतों से मानक मद-07 मानदेय के लिये रूपये 26900 हजार (रूपये दो करोड. उनहत्तर लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- कृपया उक्त मद में व्यय उक्त सीमा तक ही सीमित रखा जाय ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

(राज रतन)
उप सचिव।

[redacted]

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2017 /एस-3-419(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रपत्र बी0एम0 - 9 की प्रति सहित ।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)आडिट उ0प्र0, इलाहाबाद की प्रति सहित ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रपत्र बी0एम0-9 की प्रति सहित ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2(बी. एम. 9, तीन प्रतियो में)

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल ।

संलग्नक- यथोक्त ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0 -9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-63, आयोजनेत्तर वित्तीय वर्ष, 2016-17

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण (धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन 00-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-01-वेतन	900000	246200	26900	26900	873100
योग	900000	246200	26900	26900	873100

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त् विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2054-खजान तथा लेखा प्रशासन-00-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-07 मानदेय	25000	51900	26900	26900	51900
योग	25000	51900	26900	26900	51900

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का विवरण निम्नानुसार है :-

कोषागारों में कार्मिको के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन मद में होने वाला व्यय कम है ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

1. प्रदेश के 78 कोषागारों में कार्यरत कार्मिकों को 7वें वेंतन आयोग की दरों पर मानदेय का भुगतान किया जाना हेतु लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अन्तर्गत मानक मद -07- मानदेय रूपये 26900 हजार की अतिरिक्त आवश्यक्ता है, जिसे लेखाशीर्षक "2054-खजाना एवं लेखा स्थापना -आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अन्तर्गत मानक मद -01 वेतन में से सम्भावित बचत से पुर्नविनियोग के माध्यम से वहन किया जाना प्रस्तावित है।

संख्या-8/2017 आर0ई0-848 एस-3-419/दस-2017-ब(8)/15टी0सी0-दिनांक 31 मार्च,2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।

(राज रतन)
उप सचिव

(राज रतन)
उप सचिव

संख्या- 8/2017/एस-3-419/दस-2017-ब(8)/2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)
5- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।